


19.06.2024:- पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन पाया कि पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही
नहीं की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व में कई
अवसर दिये जा चुके हैं। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता
को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं
आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम
हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़